न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 15/2017

प्रविष्टि दिनांक 08.12.2017

1—अब्दुल अजीज पुत्र बफाती जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

2—जाकिर हुसैन पुत्र बफाती जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

3—मोहम्मद यासिन बफाती जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

4—शाकिर हुसैन बफाती जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

.... प्रार्थीगण

बनाम

1—सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 116 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक

2—परियोजना निदेशक,राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 कार्यानवयन इकाई ए—45/46 तिरूपति विहार ब्लॉक ए छतरपुरा बून्दी राज0

3—तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री बसंत कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थी

(2) श्री प्रकाश चन्द भंडारी व श्री सीताराम विजय अभिभाषक अप्रार्थी संख्या—2

निर्णय

दिनांक 13.02.2023

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 के निर्माण मे ग्राम उनियारा तहसील उनियारा की भूमि ख0नं0 3699/1280 मे से 5240 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थी व्यवसायिक भूमि की दर से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवार्ड दिनांक 19.05.2017 को निरस्त कर व्यवसायिक भूमि की दर से मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली दिनांक 19.05.2017 तलब की गई एंव उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

आरबीट्रेटर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11-
(जिला कलेक्टर) टोंक

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 के निर्माण हेतु प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 3699/1280 मे से कुल रकबा 5240 वर्गमीटर वाके ग्राम उनियारा मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म नहरी—1 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। प्रार्थी व्यवसायिक भूमि का मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नही है।सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या—2 सुनी। जवाब/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 3699/1280 मे से 5240 वर्गमीटर,किस्म जमीन नहरी—1 वाके ग्राम उनियारा का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा व्यवसायिक दर से चाहा गया है,परन्तु उनके द्वारा इसकी तायद मे संपरिर्वतन आदेश/साक्ष्य—सबूत प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—116 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 13.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.—116
(जिला कलेक्टर)

आरबीट्रेटर
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116
(जिला कलेक्टर) टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)